न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 30/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती मोहनी देवी पत्नी भूरा, जाति जाट, निवासी काबरोकाबास किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर। –अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 14.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभर हाल तहसील किशनगढ रेनवाल द्वारा न्यायालय के समक्ष सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल सम्वत 2008–2009 के आराजी खसरा नम्बर 1407 रकबा 20 बीघा किस्म गै. मु. तलाई सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त खसरा नम्बर 1407 रकबा 20 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई में जरिये आवंटन से नामा0 सं0 464 दिनांक 05.12.1978 के द्वारा गै0मु0 तलाई से बारानी सोयम मे परिवर्तन कर के 10 बीघा गीता पुत्री बशीधर कोम दरोगा सा जून्सया के नाम गैर–खातेदारी दर्ज हुई जरिये नामा0 सं0 649 दिनांक 24.01.1982 के द्वारा उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1407/3 को गैर–खातेदारी से खातेदारी दर्ज कि गई एवं नामा0 संख्या 459 के द्वारा गैर–खातेदारी गीता पुत्री बशीधर कोम दरोगा सा जून्सया के फोत होने पर विक्रम सिंह पुत्र गीता कोम दरोगा सा जून्सया दर्ज किया गया। उक्त भूमि पूर्व मे ग्राम बधाल था बाद मे ग्राम काबरोकाबास सर्जन किया गया इस कारण उक्त भूमि नवीन ग्राम काबरोकाबास मे है। ग्राम काबरोकाबास मे खसरा नम्बर 1407/3 के खातेदार विक्रम सिंह पुत्र गीता देवी कौम दरोगा सा जून्सया के द्वारा जरिये नामा0 संख्या 275 दिनांक 21.10.2003 द्वारा श्रीमती मोहनी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट सा0 देह के नाम नामा0 स्वीकृत हुआ है जिसकी वर्तमान मे भी मोहनी देवी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त संबंधित भूमि मुताबिक सेटलमेंट खतौनी किस्म 20 बीघा गै0मु0 तलाई दर्ज थी, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2008 से 2009, नामान्तकरण संख्या 464 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। अतः पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल सम्वत 2008–2009 के आराजी खसरा नम्बर 1407 रकबा 20 बीघा किस्म गै. मु. तलाई सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त खसरा नम्बर 1407 रकबा 20 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई में जरिये आवंटन से नामा0 सं0 464 दिनांक 05.12.1978 के द्वारा गै0मु0 तलाई से बारानी सोयम मे परिवर्तन कर के 10 बीघा गीता पुत्री बशीधर कोम दरोगा सा जून्सया के नाम गैर–खातेदारी दर्ज हुई जरिये नामा0 सं0 649 दिनांक 24.01.1982 के द्वारा उक्त

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

भूमि के खसरा नम्बर 1407/3 को गैर–खातेदारी से खातेदारी दर्ज कि गई एवं नामा0 संख्या 459 के द्वारा गैर–खातेदारी गीता पुत्री बशीधर कोम दरोगा सा जून्सया के फोत होने पर विक्रम सिंह पुत्र गीता कोम दरोगा सा जून्सया दर्ज किया गया। उक्त भूमि पूर्व मे ग्राम बधाल था बाद मे ग्राम काबरोकाबास सर्जन किया गया इस कारण उक्त भूमि नवीन ग्राम काबरोकाबास मे है। ग्राम काबरोकाबास मे खसरा नम्बर 1407/3 के खातेदार विक्रम सिंह पुत्र गीता देवी कौम दरोगा सा जून्सया के द्वारा जरिये नामा0 संख्या 275 दिनांक 21.10.2003 द्वारा श्रीमती मोहनी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट सा0 देह के नाम नामा0 स्वीकृत हुआ है जिसकी वर्तमान मे भी मोहनी देवी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त संबंधित भूमि मुताबिक सेटलमेंट खतौनी किस्म 20 बीघा गै0मु0 तलाई दर्ज थी, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि है जो आवंटन एवं नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। इस संदर्भ में डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में भूमि खातेदारी निरस्त योग्य है।

प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अपने निर्णय दिनांक 07.08.2013 से प्रकरण का पुन: परीक्षण कराकर यदि आवश्यक हो तो अपनी राय के साथ रेफरेन्स पुन: प्रस्तुत करावें।

इनने पत्रावली एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल सम्वत 2008–2009 के आराजी खसरा नम्बर 1407 रकबा 20 बीघा किस्म गै. मु. तलाई सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त खसरा नम्बर 1407 रकबा 20 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई में जरिये आवंटन से नामा0 सं0 464 दिनांक 05.12.1978 के द्वारा गै0मु0 तलाई से बारानी सोयम मे परिवर्तन कर के 10 बीघा फोत पुत्री बशीधर कोम दरोगा सा जून्सया के नाम गैर–खातेदारी दर्ज हुई जरिये नामा0 सं0 949 दिनांक 24.01.1982 के द्वारा उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1407/3 को गैर–खातेदारी से खातेदारी दर्ज कि गई एवं नामा0 संख्या 459 के द्वारा गैर–खातेदारी गीता पुत्री बशीधर कोम दरोगा सा जून्सया के फोत होने पर विक्रम सिंह पुत्र गीता कोम दरोगा सा जून्सया दर्ज किया गया। उक्त भूमि पूर्व मे ग्राम बधाल था बाद मे ग्राम काबरोकाबास सर्जन किया गया इस कारण उक्त भूमि नवीन ग्राम काबरोकाबास मे है। ग्राम काबरोकाबास मे खसरा नम्बर 1407/3 के खातेदार विक्रम सिंह पुत्र गीता देवी कौम दरोगा सा जून्सया के द्वारा जरिये नामा0 संख्या 275 दिनांक 21.10.2003 द्वारा श्रीमती मोहनी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट सा0 देह के नाम नामा0 स्वीकृत हुआ है जिसकी वर्तमान मे भी मोहनी देवी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त संबंधित भूमि मुताबिक सेटलमेंट खतौनी किस्म 20 बीघा गै0मु0 तलाई दर्ज थी, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के क्रम में उक्त भूमि किस्म आवंटन योग्य नही है। अतः आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है। तथा पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक हाल तहसील किशनगढ रेनवाल का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कावरोकाबास के खसरा नम्बर 1407/3 रकबा 10 बीघा भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु पत्रावली मय निर्णय की तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृती हेतु भिजवाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.12.15 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर